न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

अध्यासितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

दावा संख्या 55/2017 | दायर दिनांक 15.05.2017 | निर्णय दिनांक 16/07/25

उनवान

1. दयालसिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जगताबसई तहसील खैरथल जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राजस्थान मृतक।
   1/1– प्रीतम सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/2–टेक सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/3–मलकीत सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/4–गुरमेज सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/5–बग्गा सिंह पुत्र दयाल सिंह जातियान रायसिख निवासी ग्राम जगता बसई तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

:–वादी

बनाम

1. करनैल सिंह
2. कृष्ण सिंह
3. बख्तावर सिंह पुत्रान हरदयालसिंह
4. सरजीत कौर मृतक
5. फुलवन्ता
6. जसविन्दर कौर
7. मीत कौर पुत्रान हरदयाल सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जगताबसई तहसील खैरथल।
8. राजस्थान स्टेटे जर्ये तहसीलदार खैरथल पैरोकार सरकार तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितिः–1. वादी की ओर से श्री सुरेश चौधरी वकील।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 व 5 ल0 7 की ओर से महावीर प्रसाद शर्मा वकील।
3. प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावें के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

राजस्व ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास उपतहसील खैरथल में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1600 है0 में से 11 बिस्वा दर्ज खाता नम्बर 26 जमाबन्दी संवत् 2068 मिन वादी की खरीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी है, जो वादी ने जरिये रजि0 बयनामा कमांक 1126 दिनांक 28.08.1974 को मुबलिग 1200/–रूपये में अलौटी खातेदार मैलासिंह पुत्र राझासिंह

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

रायसिख जगता बसई से बाजप्ता प्रतिफल अदा कर बाकब्जा खरीद की है। जो आराजी वाद वादी में विवादित भूमि कहलायेगी। नकल जमाबन्दी संवत् 2068 संलग्न वाद पत्र है।

विवादित आराजी का साबिक नम्बर 91 रकबा 11 बिस्वा से हाल नम्बर 146 रकबा 13 बिस्वा कायम किया गया है। साबिक नम्बर 91 जर्ये सनद नंबर 1624 दिनांक 22.08.1973 एवं इंतकाल खातेदारी संख्या 124 के मैलासिंह की खातेदारी की थी। जिस पर बरोज खरीद दिनांक 28.08.1974 से वादी काबिज चला आ रहा है। मुताबिक विक्रयपत्र इंतकाल खातेदारी संख्या 127 वादी के हक में दर्ज व स्वीकार हुआ है। जिसका कि अंकन चौसाला जमाबन्दी संवत् 2044 में अंकित है। वास्ते मुलाहिजा नकल मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी की बाबत् चौसाल जमाबन्दी संवत् 2048 में वादी दयालसिंह खातेदार अंकित है। किन्तु आगामी चौसाला जमाबन्दी 2052 कायम करते वक्त जानबूझ कर अथवा सहवन से दयालसिंह के स्थान पर हरदयाल राजस्व जमाबन्दी में अंकित कर दिया गया। तत्पश्चात आगामी कायमशुदा जमाबन्दीयात में भी वादी दयालसिंह का नाम हरदयालसिंह अंकित कर दिया। चूंकि वादी के पिता का नाम सदैव से सरदारसिंह रहा है और यहीं नाम विक्रयपत्र दिनांक 28.08.1974 व पुराने राशन कार्ड संख्या 205 तथा पहचान पत्र कमांक आरजे/08/061/360435 एवं आधार कार्ड संख्या 881311347943 में भी अंकित किया हुआ है। किन्तु राजस्व कर्मचारियान हल्का पटवारी राताखुर्द ने हरदयालसिंह पुत्र गंगासिंह नामक रायसिख जोकि बसई जगता का निवासी था एवं जाति से रायसिख है, जिसके फौत होने पर विरासत इंतकाल संख्या 694 जो दिनांक 13.12.2004 को दर्ज होकर दिनांक 14.12.2004 को स्वीकार फरमाया गया है, उक्त इंतकाल नंबर 694 में वादी की खरीदशुदा खसरा नम्बर 146 को भी गलत प्रकार से शामिल करते हुए नामान्तरण विरासत का प्रतिवादीगण के नाम स्वीकार कर दिया। जिसके कि आधार पर जमाबन्दी संवत् 2060 से ताहाल में प्रतिवादीगण के नाम का गलत अंकन खिलाफ कानून खिलाफ मौका व कब्जा दर्ज होता आ रहा है। हजफ होने योग्य है। चूंकि वादी अनपढ जमींदारा पेशा व्यक्ति है तथा जीवित है और वादी के जीवित रहते हुए तत्कालीन हल्का पटवारी व गिरदावर कानूनगों की घोर लापरवाही व बिना जॉच किए वादी के जीवित रहते हुए वादी की खरीदशुदा आराजी की बाबत् विरासत इंतकाल वादी की अज्ञानता में दर्ज करते हुए भू-अभिलेख कागजात में प्रतिवादीगण के नाम का गलत अंकन दर्ज कर दिया। जिससे वादी के हकूक समाप्त होने का अंदेशा है। जबकि प्रतिवादीगण गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी है। जिनका कि उक्त विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा तथा नाही उनके पिता हरदयालसिंह का कभी कब्जा काश्त रहा। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जॉच किए वादी के नाम दयालसिंह के स्थान पर हरदयालसिंह अंकित कर दिया, तत्पश्चात वादी के जीतेजी वादी की खरीदशुदा आराजी विवादित का विरासत इंतकाल संख्या 694 में शामिल करते हुए विरासत खाल दी। ऐसी सूरत में वादी जमाबन्दी संवत् 2052 से ताहाल को दुरूस्त कराने व प्रतिवादीगण के नाम हो हजफ कराने तथा विरासत इंतकाल संख्या 694 को नल एण्ड वाईड करार दिलाने का अधिकारी है तथा अपने नाम का अंकन बहैसियत खरीददार खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज दायर करना लाजिम आया है।

आराजी मुतनाजा पर वादी बरोज खरीद दिनांक से लगातार काबिज वो काश्त चला आ रहा है तथा जोतता, बौता एवं फसल पैदावार लेता आ रहा है। प्रतिवादीगण गैरवास्ता गैरकाबिज आराजी मुतनाजा है जिनका कोई कब्जा काश्त आराजी के किसी .जुज हिस्से पर नही रहा, ना है। किन्तु प्रतिवादीगण गलत अंकन की आड में बाला-बाला आराजी को खुर्द-बुर्द, मुन्तकिल कर हकूक वादी समाप्त कर देना चाहते है एवं प्रतिवादीगण ने बाला-बाला भू-माफिया लोगों से बेचान की सौदेबाजी भी चलाई हुई है। यदि प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी को अन्यत्र मुन्तकिल कर वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को अपार क्षति होगी। जिसकी कि कीमत रूपयों में आकी जाना संभव नहीं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

होगा। स्टेटस को कायम रख पाना असम्भव हो जायेगा। अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराकर पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः दावा हुकमईम्तनाई दवामी पेश है।

प्रतिवादीगण गैर वाश्ता गैर काबिज आराजी है जिनका किसी प्रकार का संबंध व सरोकार आराजी के कब्जे काश्त से नहीं रहा है, ना आज ही है बल्कि आराजी पर वादी काबिज है। बयनामा दिनांक 28.08.1974 विधिवत वादी के हक में पजीकृत कराया हुआ है तथा वादी काबिज है। प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि आराजी का बेचान करेंगे। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है।

वाद पत्र वादी में राजस्थान स्टेट जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगढबास को पक्षकार संख्या 8 बनाया जा रहा है। जिन्हे धारा 80 जा0दी0 दो माह का नोटिस वाद वादी के साथ दिया जाना आवश्यक है, किन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा0दी0 वास्ते स्वीकृति वाद के साथ पेश है।

दावा हाजा के लिए धमकी दिनांक 13.05.2016 तथा दिनांक 17.05.2016 व दिनांक 02.03.2017 से जुजवन बिनाय दावी बिनाय मुखासमत पैदा करती है जिससे वाद वादी मामूलन अन्दर मियाद पेश है।

मुतनाजा आराजी ग्राम जगता बसई उप–तहसील खैरथल, तहसील किशनगढबास जिला अलवर मे है एवं पक्षकारान भी हदूद अदालत श्रीमान ग्राम जगता बसई का रहने वाले है। अतः दावा काबिल समाअतः न्यायालय श्रीमान है।

दावा हाज पर कोर्ट फीस 2 रूपये एवं तलबाना 2 रू चस्पा है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

अ– डिक्री इश्तकरारहक दुरूस्ती इंद्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादी आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर हाल 146 रकबा 0.1600 हे0 जिसका कि साबिक खसरा नम्बर 91 रकबा 0–11 बिस्वा वाके बसई जगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर का खरीददार खातेदार काबिज काश्तकार है एवं आराजी मुतनाजा की बाबत् विक्रयपत्र कमांक 1126 दिनांक 28.08.1974 व इंतकाल संख्या 127 विधिवत वादी के पक्ष में दर्ज व स्वीकार होकर चौसाल जमाबन्दी संवत् 2048 वादी के हक में कायम की है। किन्तु जमाबन्दी संवत् 2052 से ताहाल में दयालसिंह के स्थान पर हरदयालसिंह तथा विरासत इंतकाल संख्या 694 दिनांक 14.12.2004 जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जॉच किए लापरवाही पूर्ण तरीके से दर्ज किए है। जिनके आधार पर प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हो रहा है, जो अंकन खिलाफ कानून खिलाफ मौका व कब्जा है। जो हकूक वादी के विरूद्ध नल एण्ड वाईड है। हजफ होने योग्य है। जिस इन्द्राज को हजफ फरमाया जाकर वादी के नाम का अंकन मुताबिक बयनाामा, इन्तकाल संख्या 127, जमाबन्दी संवत् 2048 के आधार पर दयालसिंह पुत्र सरदारसिंह रायसिख खातेदार दर्ज कराये जाने की घोषणा की जावे।

ब– करार दिया जावे कि रिकॉर्ड पटवार में जो प्रतिवादीगण के नाम का गलत अंकन खिलाफ कानून खिलाफ मौका दर्ज किया हुआ है। हकूक वादी के विरूद्ध नल एण्ड वाईड है। काबिल दुरूस्ती है। जिसे हजफ किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदार दर्ज कराया जावे।

प्रतिदादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो मुतनाजा आराजी स्थित ग्राम जगताबसई तहसील किशनगढबास उप तहसील खैरथल से ना तो वादी को बेदखल करे, ना कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करे, ना गलत अंकन की आड में दीगर जगह रहन, बैय, मुन्तकिल करे। दौराने वाद मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति कायम रखें।

खर्चा मुकदमा का वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत मुनासिब समझे, अता फरमायी जावें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। उसके विरूद्ध एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 की ओर से जवाब दावा पेश निम्न पेश हुआ :–

विवादित आराजी वाके ग्राम बसाईजगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है शेष स्वीकार नही है। आराजी विवादित नहीं है, जिसे बेजा रूप से विवादित बनाया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 13 बिस्वा से मैलासिंह तथा उसके बाद वादी का कोई किसी प्रकार का लेना देना सम्बन्ध वो सरोकार नहीं है। विवादित आराजी हम जवाबदारान की पिता हरदयाल सिंह पुत्र गंगासिंह जाति रायसिख निवासी बसई जगता की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसकी कीमत कर्जा हम जवाबदारान के पिता हरदयालसिंह पुत्र गंगासिंह द्वारा जमा करा खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है जिसके आधार पर हम जवाबदारान के पिता का सही अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हुआ जो अंकन आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड मे चला आ रहा है। वादी का नाम दयालसिंह पुत्र सरदारसिंह है जबकि हम जवाबदारान के पिता का नाम हरदयाल सिंह पुत्र गंगासिंह है जो दोनों अलग–अलग व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद हम जवाबदारान के हक जो इंतकाल संख्या 694 दिनांक 13.12.2004 को दर्ज हुआ वो सही दर्ज व मंजूर हुआ है राजस्व रिकॉर्ड में जो अंकन हम प्रतिवादीगण के नाम हो रहा है वो एकदम सही दर्ज हुआ है जिसे वादी किसी भी सूरत में नल एण्ड वाईड करार दिलाने का अधिकारी नहीं है विवादित आराजी से वादी का कोई किसी प्रकार का लेना देना सम्बन्ध वो सरोकार नहीं है विवादित आराजी पर हम प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकॉर्ड में हम प्रतिवादीगण के नाम का अमल व दरामद हो रहा है वादी स्वयं गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी है राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियो द्वारा मौके व रिकॉर्ड में सही रूप से अंकन किया है राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई दयालसिंह के स्थान पर हरदयालसिंह अंकित नही किया है हम प्रतिवादीगण विवादित आराजी को जोतते बोते है ऐसी सूरत में वादी कोई किसी प्रकार का इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी पर हम प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा हम जवाबदारान का मौके पर वास्तविक कब्जा है तथा हम प्रतिवादीगण ने मौके पर फसल काश्त की हुई है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे हम प्रतिवादीगण के नाम का अंकन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो रहा है हम प्रतिवादीगण अपनी आराजी किसी दीगर सख्स को खुर्द बुर्द नही कर रहा हूँ ना ही वादी को कोई किसी प्रकार अदहद हानि हो रही है ऐसी सूरत में वादी हम जवाबदारान को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है वाद काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत की गई।

प्रस्तुत वाद में तनकीहात निम्न प्रकार है आया वाद ने आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1600 हे. में से 11 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 91 रकबा 11 बिस्वा स्थित बसई जगता को खातेदार मैलासिंह पुत्र राज्ञासिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कमांक 1126 दिनांक 28.08.1974 बाकब्जा खरीद किया है, जिस पर वादी बरोज खरीद दिनांक से बतौर खातेदार काबिज चला आ रहा है। आया बयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 127 बहक वादी दर्ज होकर चौसाला जमाबन्दी संख्या 2044 कायम की गई। आया वादीगण विवादित आराजी पर बरोज खरीद दिनांक से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण गैर काबिज गैर वास्ता आराजी है। (जि0वादी)

आया आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 11 बिस्वा वाके जगता बसई की चौसाला जमाबन्दी संवत 2048 व बाद की जमाबन्दीयों में हरदयालसिंह मे नाम का बतौर खातेदार अंकन सही हुआ है। (जि0 प्रतिवादी)

तनकी प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की साक्ष्य कराई गई। वादी ने साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पी.डब्लू–1 मलकीत सिंह पुत्र दयालसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जगताबसई, पी.डब्लू–2 गुरमेज सिंह पुत्र दयालसिंह पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

इकरारनामा दिनांक 28.08.1974, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 2044–2047 प्रदर्श–3 , जमाबन्दी संवत् 2048 प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2052 प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत् 2060–2063 प्रदर्श–6 , जमाबन्दी संवत् 2064–2067 प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 प्रदर्श–8, नकल गिरदावरी प्रदर्श–9, नकल इंतकाल संख्या 239/227 प्रदर्श–10, इंतकाल नम्बर 228/124 प्रदर्श–11, नकल इंतकाल नम्बर 694 प्रदर्श–12 पेश किये है। साक्ष्य प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। अद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.08.1974 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैलासिंह पुत्र राज्ञासिंह जाति रायसिख सा. बसई जगता द्वारा खसरा नम्बर 91 रकबा 11 बिस्वा जिसका नया नम्बर 146 किस्म बारानी1 वाके मौजा बसई जगता का बेचान 1200 रूपये में दयालसिंह पुत्र सरदारासिंह जाति रायसिख सा. बसई जगता को किया हुआ है। जिसे उप पंजीयक किशनगढबास द्वारा तस्दीक किया हुआ है। प्रदर्श–11 नामान्तरण संख्या 127 से स्पष्ट है कि उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर वादी दयाल सिंह पुत्र सरदार सिंह के पक्ष में खसरा नम्बर 146 का इंतकाल स्वीकार हुआ, जिसका अंकन जमाबन्दी संवत् 2044–2047 प्रदर्श–3 में है तथा वादी दयाल सिंह पुत्र सरदार सिंह को 11 बिस्वा का खातेदार दर्ज किया हुआ है। प्रदर्श–4 से स्पष्ट है कि नवीन चौसाला जमाबन्दी संवत् 2048 में वादी दयाल सिंह पुत्र सरदार सिंह के स्थान पर हरदयाल सिंह पुत्र सरदार सिंह खातेदार 11 बिस्वा दर्ज किया हुआ है, जो कि आदिनांक तक चला आ रहा है। और उसी गलत अंकन के आधार पर संवत् 2060–2063 जो कि प्रदर्श–6 है हरदयाल सिंह के फौत होने के पश्चात् इंतकाल संख्या 694 (प्रदर्श–12) द्वारा विरासत हरदयाल सिंह के वारिसान करनैल सिंह, कृष्ण सिंह , बख्तावर सिंह पुत्रान व सरजीत कौर, कुलवन्ता, जसविन्दर कौर पुत्रीयान हरदयाल को प्राप्त हुई। जिसका अंकन वर्तमान जमाबन्दीयात में भी चला आ रहा है, जो कि कानूनसंगत व न्यायसंगत नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजात, जवाब, तनकी एवं साक्ष्य से साबित है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में जो अंकन प्रतिवादीगण करनैलसिंह के वारिसान का हो रहा है वह खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून है। अतः वादीगण उसे कलमजन कराने तथा उसके स्थान पर अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है जिसकी दुरूस्ती हाल राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना कानूनसंगत व न्यायसंगत है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास हाल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा के विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1600 हे0 किस्म बारानी ए पर दर्ज हरदयालसिंह पुत्र गंगासिंह के वारिसानों के नाम के अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर दयालसिंह पुत्र सरदारासिंह के वारिसान/वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तूर कायम रहेगा। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अध्याशित– श्री मनीष कुमार जाटव आर०ए०एस०

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
55 / 2017	15.05.2017	16/07/25

उनवान

1. दयालसिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जगताबसई तहसील खैरथल जिला अलवर हाल खैरथल तिजारा राजस्थान मृतक।
   1/1– प्रीतम सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/2–टेक सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/3–मलकीत सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/4–गुरमेज सिंह पुत्र दयाल सिंह।
   1/5–बग्गा सिंह पुत्र दयाल सिंह जातियान रायसिख निवासी ग्राम जगता बसई तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

:–वादी

बनाम

1. करनैल सिंह
2. कृष्ण सिंह
3. बख्तावर सिंह पुत्रान हरदयालसिंह
4. सरजीत कौर मृतक
5. कुलवन्ता
6. जसविन्दर कौर
7. मीत कौर पुत्रान हरदयाल सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जगताबसई तहसील खैरथल।
8. राजस्थान स्टेट जर्ये तहसीलदार खैरथल पैरोकार सरकार तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितिः–1. वादी की ओर से श्री सुरेश चौधरी वकील।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 व 5 ल0 7 की ओर से महावीर प्रसाद शर्मा वकील।
3. प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिकी

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास हाल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा के विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 0.1600 हे0 किस्म बारानी ए पर दर्ज हरदयालसिंह पुत्र गंगासिंह के वारिसानो के नाम के अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर दयालसिंह पुत्र सरदारासिंह के वारिसान/वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। शेष हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

बदस्तूर कायम रहेगा। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner